SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No54/18 Sum	Complaint or report madeon29-03-18
Name and address of the Complainant	police station Endory
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Name . pare	entage,caste and address of accused
1—राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप बंघेल उम्र 25 साल	Company and address of decased
2—देवेन्द्र पुत्र रामसेवक खटीक उम्र 22 साल	
3—रवि पुत्र महादेव बरेठा उम्र 20 साल	-, Vy
4–राजवीर पुत्र दर्शनलाल बरेठा उम्र 20 साल	A.
निवासीगण ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड	5 म 0प्र0
A 100	
The offence, compla	inant of, and date of, its alleged commission
200	
आप पर आरोप है कि	दिनांक 29.03.18 को करीब 15:10 बजे मुकाम सार्वजनिक
	शेरपुर पर ताश के पत्तों से रूपये पैसे की हार जीत का दांव
लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।	
	जनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	
	त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
प्या जानका उप	त जनराज रवाचगर है जा त्राराखा जाहरा हो।
	हस्ता.
The plea of the	e accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित	करन का निवदन ह।
	S.C.
हस्ताक्षर अभियुक्तगण	
S	
	4 4
	4 7
	700
	16 A
	Q Z
	्रिक्ता.
	6
The offence proved. If any and in case up	der clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of
The offence proved, if any and in case an	der clasacta) clasascti) clausetg) of sub section 200 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / / (आज दिनांक 04.04.18 को घोषित)

- 01. आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये <u>आरोपी गण</u> को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100 रूपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राषि के संदाय के व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त गण को 5—5 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 03. अभियुक्तगण से जप्तषुदा राशि 685 रूपये. अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)